न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 221 / 2021 निर्णय दिनांक :– 10.02.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. कृष्ण देवी पत्नि नाथूलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नाथूलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कैलाश पुत्र किशनलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. लाली पुत्री किशनलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नोसर पत्नि किशनलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. जगदीश दत्तक पुत्र श्योकिशन जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रूपा पुत्र धन्ना जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. रमेश पुत्र बालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. केसरलाल पुत्र बालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. रामरतन पुत्र बालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. कौशल्या पुत्री बालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. भूरीदेवी पत्नि बालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

12. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज.

—अप्रार्थीगण—

—उपस्थितिः—
श्री रमेश चन्द शर्मा
श्री अनिल कुमार भूरेटा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामनिवास तुनगारिया
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11

प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 2.30 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 150 रकबा 0.88 है0 एवं अप्रार्थीगण 5 ता 11 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बर 122 गै. मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण काफी वर्षों से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि मे खसरा नम्बर 122 गै. मु. रास्ता से अप्रार्थीगण 1 ता 4 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 114, 116, 150 एवं अप्रार्थीगण 5 ता 11 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 मे से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थीगण 1 ता 11 द्वारा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को आने जाने में बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिये प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 122 गै. मु. रास्ता से अप्रार्थीगण 1 ता 4 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 114, 116, 150 एवं अप्रार्थीगण 5 ता 11 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 114, 116, 150 के सहखातेदार किशनलाल पुत्र श्योनारायण जाट की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस अप्रार्थीगण 1 ता 4 है तथा सहखातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र जुवारा जाट भी लाओलाद फोत हो चुका है जिसके भी वारिस अप्रार्थीगण 1 ता 4 है। इसी प्रकार आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 के सहखातेदार बालू पुत्र धन्ना जाट की मृत्यु हो

चुकी है जिसके वारिस अप्रार्थीगण 7 ता 11 है। मृतको के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण नही खुला है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 2.30 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 122 गै0 मु0 रास्ता से अप्रार्थीगण 1 ता 4 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 114, 116, 150 एवं अप्रार्थीगण 5 ता 11 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 मे से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से श्री रामनिवास तुनगारिया ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 3 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण नं.4 जिस प्रकार से वर्णित किया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 6 स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना/अनुतोष गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। मुलाहिजा हो **विशेष आपत्तियाँ** :–प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 150 एवं खसरा नं.114 के मध्य तालाब से सिंचाई के लिए गै.मु. धोरा खसरा नं. 146 रकबा 0.24 है0 निकला हुआ है। जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 114, 116, 150, 115 एवं गै.मु. रास्ता खसरा नं. 122 के मध्य खसरा नं. 117 गै. मु. चाह पड़ता है वही गै.मु. चाह में से रास्ता नहीं दिया जा सकता, तथा गै.मु. चाह के 25 खातेदार है जिनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अपितु खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण नं. 2 द्वारा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 114, 150, 116 बाबत एक वाद सं0 179/20 उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र सं0 382/20 अस्थाई निषेधाज्ञा इसी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इस कारण भी प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अपितु खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से गलत रूप से पेश रास्ता मांग रहे है, जबकि प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर रास्ता खसरा नं. 148, 346, 343 में से रास्ता मांगना चाहिए था जो गै.मु. रास्ता खसरा नं. 353 पर पहुचता है। वही प्रार्थीगण की भूमि से गै.मु. रास्ता खसरा नं. 353 में दूरी भी कम पड़ती है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज करने

योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 12 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– मौके पर वादी नाथूलाल कृष्णा देवी मिलें प्रार्थना पत्र अनुसार वादीगण अपनी खातेदारी ख. न. 129 रकबा 2.30 है0 में आने–जाने ख. न. 114 115 116 व 150 में से रास्ता चाहकर सिवायचक गै.मु. रास्ते के ख. नं. 122 में से जुड़ना चाहते है किन्तु रिकॉर्ड अनुसार चाहे गये रास्ते के आराजियात पर वादीगण के ख. नं. 149 के मध्य ख. नं. 146 रकबा 0.24 है0 किस्म गै.मु. धोरा सिवायचक स्थित है। अतः ख. न. 146 को किस्म गै.मु. धोरा होने से चाहे गये आराजियत में से रास्ते के प्रस्ताव नियमानुसार तैयार नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात् वादीगण के साथन. 149 से अन्य नजदीकी रास्ता से जुड़ा होने वाले आराजियात का मौका देखा। जिसके अनुसार सिवायचक ख. नं. 353 रकबा 0.15 है0 किस्म गे. मु. रास्ता से वादीगण के ख. नं. 149 के मध्य ख. नं. 148 346, 343 स्थित है जिनकी दक्षिणी मेड पर वादीगण को रास्ता दिया जा सकता है। वादीगण के मौके पर इस नवीन रास्ते का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया एवं बताया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली के न्यायालय में हमारे प्रार्थना पत्र अनुसार ही हमें रास्ता दिया जायें। अन्यथा नवीन तरीके से प्रस्तावित किये जा सकने वाले आराजी ख. नं. 148 346, 343 की प्रतिकर राशि जमा नहीं करवायेंगे। अतः प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित मौतबिरान को पढ़ाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

अतः जमाबंदी नक्शा ट्रेस, सलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोई विशेष आपति पेश नहीं की और कथन किया कि गे. मु. धोरा व गै. मु. चाह से रास्ता देना विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण नं. 2 द्वारा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 114, 150, 116 बाबत एक वाद सं0 179/20 उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र सं0 382/20 अस्थाई निषेधाज्ञा इसी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णय बिना इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना भी उचित नहीं है। अन्य नियमानुसार जवाब व तहसीलदार रिपोर्ट में सुझाये अनुसार वैकल्पिक रास्ते हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात ख. नं. 149 में जाने के लिए गै. मु. रास्ता ख. नं. 122 से ख. नं. 114, 115, 116, व 150 में से रास्ता चाहता है। ख. नं. 122 व ख. नं. 149 के मध्य गे. मु. धोरा ख. नं. 146 व ख. नं. 117 गे. मु. चाह पड़ता है। प्रार्थीगण ने ख. नं. 117 के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। तहसीलदार देवली व अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने सिवायचक ख. नं. 353 रकबा 0.15 है0 किस्म गे. मु. रास्ता से वादीगण के ख. नं. 149 के मध्य ख. नं. 148 346, 343 स्थित है, जिनकी दक्षिणी मेड पर वादीगण को रास्ता दिया जा सकता है, सुझाया है, जिसको प्रार्थीगण ने मौके पर इस नवीन रास्ते का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अतः ख. नं. 146 गे. मु. धोरा है जिसमें रास्ता दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि धोरे में से होकर रास्ता बनाने पर धोरे में होकर प्रवाहित होने वाली पानी पर प्रभाव पड़ेगा। तथा ख. नं. 117 गै. मु. चाह के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण ख. नं. 117 से रास्ता देने पर विचार करना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा अभिशंषित नहीं होने व वांछित रास्ते के मध्य में गे. मु. चाह व गे. मु. धोरा होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली